भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1803

04 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में धान की खरीद

1803. श्री बाबू राम निषाद:

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

श्री राजेश परमानंद शुक्ला:

श्रीमती रेखा शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में धान की, की गई खरीद का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की विशेषकर पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) एवं (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के तहत खरीदे गए धान और लाभान्वित किसानों की संख्या, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के खरीददार राज्य भी शामिल हैं, का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न हैं।

(ग) और (घ): प्रत्येक वर्ष, भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश के लिए 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फसलों के बीच मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, साथ ही भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करता है।

...2/-

सरकार ने वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पादन लागत के न्यूनतम डेढ़ गुना के बराबर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को पूर्व-निर्धारित सिद्धांत के रूप में निर्धारित किया था। तदनुसार, सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित की गई है।

सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उनकी उपज खरीदकर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। हालांकि, किसान अपनी उपज को सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर या खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, जो भी उनके लिए लाभदायक हो।

अनुबंध-I

राज्यसभा में दिनांक 04.08.2026 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1803 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान धान की खरीद और लाभान्वित किसान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केएमएस 2022-23		केएमएस 2023-24		केएमएस 2024-25	
		धान की खरीद (लाख टन में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	धान की खरीद (लाख टन में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	धान की खरीद (लाख टन में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	41.13	678604	30.43	479159	38.22	517676
2	तेलंगाना	93.86	2016798	95.32	1500655	97.15	1617991
3	असम	5.98	62423	3.94	39577	8.50	66530
4	बिहार	42.05	577064	30.79	372556	39.23	462963
5	चंडीगढ़	0.19	1404	0.25	1714	0.26	1612
6	छत्तीसगढ	87.53	2047842	123.88	2472441	116.42	2549606
7	गुजरात	1.77	28357	0.85	15651	0.35	6609
8	हरियाणा	59.36	282725	58.94	282103	53.99	310100
9	हिमाचल प्रदेश	0.14	3407	0.23	4274	0.37	6338
10	झारखंड	1.73	31855	0.74	10927	2.06	58858
11	जम्मू एवं कश्मीर	0.34	6549	0.24	4494	0.33	4897
12	कर्नाटक	0.21	7646	0.00	0	0.01	158
13	केरल	7.31	250373	5.59	198478	5.63	206913
14	मध्य प्रदेश	46.30	647699	42.16	605553	43.42	669271
15	महाराष्ट्र	18.48	516941	11.64	375519	15.93	463072
16	ओडिशा	79.16	1710773	70.89	1532237	85.55	1821071
17	पुडुचेरी	0.00	28	0.00	63	0.00	44
18	पंजाब	182.11	903942	185.28	914803	173.33	904471
19	एनईएफ (त्रिपुरा)	0.45	21712	0.32	16112	0.36	17357
20	तमिलनाडु	33.84	599912	34.96	393887	47.99	573761
21	उत्तर प्रदेश	65.50	940226	53.80	692604	57.71	662854
22	उत्तराखंड	8.96	58038	7.30	41009	6.73	33895
23	पश्चिम बंगाल	32.09	1102759	24.69	704417	29.28	902460
	अखिल भारतीय कुल	808.45	12497077	782.25	10658233	822.80	11858507
